कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0) टिहरी गढवाल, नई टिहरी

email- deoee.tehri@gmail.com

आदेश संख्या/प्रा॰शि॰–2/ 82 /विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक 24 अप्रैल, 2026

प्रेस विज्ञप्ति/शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन

इस कार्यालय के आदेश संख्याः प्रा॰शि॰/684/स॰अ॰(वि॰शि॰)/2025–26/दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के द्वारा जनपद–टिहरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्राथमिक वेतनमान 35400–112400 लेवल–6 के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय बेवसाईट पर **www.schooleducation.uk.gov.in** अपलोड की जा रही है। पात्र अभ्यर्थी दिनांक 27 अप्रैल, 2026 को प्रातः 10:00 बजे आयोजित शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु समस्त मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र (02 प्रति स्वप्रमाणित) सहित कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढवाल, नई टिहरी के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जो अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित होगे उनके पात्रता पर विचार नही किया जायेगा।

(पूनम चौहान)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰शि॰),
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

पृ0सं0:–प्रा॰शि॰–2/ 695–97/प्रेस विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेडा देहरादून।
2. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
3. सम्पादक–दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण जो पूरे प्रदेश में प्रचारित एवं प्रसारित हो, में न्यूनतम शासकीय दरों पर विज्ञापित करने का कष्ट करेंगे तथा भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰शि॰),
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

Scanned by Camera Scanner

शपथ पत्र

समक्षः–जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

द्वारा– मैं शपथकर्ता/कर्ता.....उम्र.....पिता/पति का नाम.....निवासी.....
.....ईश्वर की शपथ लेकर शिक्षक भर्ती (विशेष शिक्षा) प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार शपथ करता/करती हूँ।

1. यह कि, शपथकर्ता उपरोक्त दर्शायें गये पते पर निवास करता/करती हूँ। शिक्षक भर्ती (विशेष शिक्षा) प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी मेरिट सूची के अनुसार मेरा क्रमांक..... पर दर्ज है, जो सही है।
2. यह कि मेरे द्वारा शिक्षक भर्ती (विशेष शिक्षा) के लिए जो आवेदन किया गया है उसमें सभी संलग्न प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है। यदि मेरे द्वारा दिये गये शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्रों में कोई भी ऐसा तथ्य संज्ञान मे आता है जिससे मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तो मुझे विभागीय आदेश मान्य होगा/होगी।
3. मेरे द्वारा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0एड0 (विशेष शिक्षा), भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) पंजीकरण एंव टी0ई0टी0 प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) से वैद्य रूप से पजीकृत है।
4. यह कि मेरे द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा .....राज्य से उत्तीर्ण की है। मेरे माता पिता वहॉ राजकीय सेवा/अन्य व्यवसाय में कार्यरत थे।
5. यह कि मैं समय–समय विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/नियमों का पालन करूगॉ/करूगी।
6. यह कि मेरे द्वारा अपनी पैतृक जाति एंव निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जो प्रमाण पत्र संलग्न किया है वह सत्य और सही हैं।
7. यह कि मेरे द्वारा उत्तरप्रदेश/अन्य प्रदेशों सें एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0एड0 (विशेष शिक्षा), भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) से प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है, किया है। वहॉ पर दाखिले के समय सम्बन्धित प्रदेश के स्थाई निवास की बाध्यता नही थी।
8. यह कि वर्तमान में मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय मे कोई आपराधिक मामला दर्ज/विचारधीन नही है।
9. यह कि मेरे अन्य राज्य के निवासी होने तथा विवाह उत्तराखण्ड राज्य में होने की स्थिति में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं शपथकर्ता नाम.....पिता/पति.....को सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के क्रमांक.....से .....तक के कथन मेरी निजी ज्ञान से सत्य व सही हैं। आज दिनांक .....
.को स्थान.....में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर दी।

स्थान –
दिनांक–

हस्ताक्षर शपथकर्ता

Scanned by Camera Scanner

शपथ पत्र

समक्षः–जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

द्वारा– मैं शपथकर्ता/कर्ता.....उम्र.....पिता/पति का नाम.....निवासी.....
.....ईश्वर की शपथ लेकर शिक्षक भर्ती (विशेष शिक्षा) प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार शपथ करता/करती हूँ।

1. यह कि, शपथकर्ता उपरोक्त दर्शायें गये पते पर निवास करता/करती हूँ। शिक्षक भर्ती (विशेष शिक्षा) प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी मेरिट सूची के अनुसार मेरा क्रमांक..... पर दर्ज है, जो सही है।
2. यह कि मेरे द्वारा शिक्षक भर्ती (विशेष शिक्षा) के लिए जो आवेदन किया गया है उसमें सभी संलग्न प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है। यदि मेरे द्वारा दिये गये शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्रों में कोई भी ऐसा तथ्य संज्ञान मे आता है जिससे मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तो मुझे विभागीय आदेश मान्य होगा/होगी।
3. मेरे द्वारा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0एड0 (विशेष शिक्षा), भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) पंजीकरण एंव टी0ई0टी0 प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) से वैद्य रूप से पजीकृत है।
4. यह कि मेरे द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा .....राज्य से उत्तीर्ण की है। मेरे माता पिता वहॉ राजकीय सेवा/अन्य व्यवसाय में कार्यरत थे।
5. यह कि मैं समय–समय विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/नियमों का पालन करूगॉ/करूगी।
6. यह कि मेरे द्वारा अपनी पैतृक जाति एंव निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जो प्रमाण पत्र संलग्न किया है वह सत्य और सही हैं।
7. यह कि मेरे द्वारा उत्तरप्रदेश/अन्य प्रदेशों सें एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0एड0 (विशेष शिक्षा), भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) से प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है, किया है। वहॉ पर दाखिले के समय सम्बन्धित प्रदेश के स्थाई निवास की बाध्यता नही थी।
8. यह कि वर्तमान में मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय मे कोई आपराधिक मामला दर्ज/विचारधीन नही है।
9. यह कि मेरे अन्य राज्य के निवासी होने तथा विवाह उत्तराखण्ड राज्य में होने की स्थिति में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं शपथकर्ता नाम.....पिता/पति.....को सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के क्रमांक.....से .....तक के कथन मेरी निजी ज्ञान से सत्य व सही हैं। आज दिनांक .....
.को स्थान.....में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर दी।

स्थान –
दिनांक–

हस्ताक्षर शपथकर्ता

Scanned by Camera Scanner

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश।

इस कार्यालय के आदेश संख्याः प्रा.शि./684/स.अ.(वि.शि.)/2025–26/ दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के द्वारा जनपद–टिहरी गढवाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्राथमिक वेतमनमान 35400–112400 लेवल–6 के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। जिसके क्रम में पात्र अभ्यर्थियों के शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त अभिलेखों की जॉच हेतु दिनांक 27 अप्रैल, 2026 की तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि को पात्र अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जॉच के समय निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करेंगे।

1. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
2. शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल शैक्षिक, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने होंग।
3. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र मूल प्रति में।
4. जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि सेवाकाल में डी0एड0 (विशेष शिक्षा), भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) प्रशिक्षण एंव टी0ई0टी0 प्रथम उत्तीर्ण योग्यता प्रशिक्षण किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।)
5. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
6. आर्थिक रूप से कमजोर EWS धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा आर0सी0आई0 पंजीकरण प्रमाण पत्र नियमानुसार वैध प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
8. नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिये गये प्रारूप के अनुसार शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करे।
9. आर्थिक रूप से कमजोर धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 संख्या–164 दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019 " के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति।
11. उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण पत्र शपथ पत्र। (शासनादेश संख्या–254/कार्मिक–2/2002 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।)
12. समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति दो–दो प्रतियों में फाईल के साथ लाये।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन में प्रतिभाग नही किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन पर कोई विचार नही किया जायेगा। विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित सूची में जिन अभ्यर्थियों की मेरिट उसी वर्ग विषय और श्रेणी में अधिक हो या नाम छूट गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी अपने शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त अभिलेखों सहित उक्त निर्धारित तिथि को स्वयं चयन समिति के समक्ष उपस्थित होवें व अपना पक्ष प्रस्तुत करें, ऐसे अभ्यर्थी के भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(पूनम चौहान)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

941

Scanned by Camera Scanner
Scanned with OKEN Scanner